

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3— Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] मई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 1973/मघा 20, 1894

No. 29] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 1973 /MAGHA 20, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

Income-tax Establishments

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February 1973

G.S.R. 54(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the seniority of persons directly recruited or promoted to Income-tax Officers (Class I) Service, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income-tax Officers (Class I) Service (Regulation of Seniority) Rules, 1973.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 16th day of January, 1959.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context requires otherwise—

(a) "date of commencement" of these rules means the 16th day of January, 1959;

(b) "direct recruit" means an Income tax Officer recruited to the Income-tax Officers (Class I) Service on the basis of any competitive examination held by the Union Public Service Commission;

- (c) "promotee" means an Income-tax Officer promoted to Class I Service on the basis of selection and includes—
- (i) any Income-tax Officer, Grade III (Class II) Service who had been promoted to Income-tax Officers (Class I, Grade II) Service before the 1st day of July, 1959;
 - (ii) any Income-tax Officer in Class II Service, who is promoted to Income-tax Officers (Class I) Service, on or after the 1st day of July, 1959; and
 - (iii) any Income-tax Officer in Grade III (Class II) Service, who had been promoted to Income-tax Officer (Class I, Grade II) Service before the 16th day of January, 1959, in excess of the quota fixed for promotion in terms of the directions contained in letter No. 24 (2) Adm. IT/51, dated the 18th October, 1951 of the Government of India, in the Ministry of Finance (Revenue Division).

3. **Seniority of officers.**—The seniority of the Income-tax Officers in the Class I Service shall be regulated as from the date of commencement of these rules in accordance with the provisions hereinafter contained namely:—

- (i) the seniority among the promotees *inter se* shall be determined in the order of selection for such promotion and the officers promoted as a result of any earlier selection shall rank senior to those selected as a result of any subsequent selection;
- (ii) the seniority among the direct recruits *inter se* shall be determined by the order of merit in which they are selected for such appointment by the Union Public Service Commission and any person appointed as a result of an earlier selection shall rank senior to all other persons appointed as a result of any subsequent selection; and
- (iii) the relative seniority among the promotees and the direct recruits shall be in the ratio of 1:1 and the same shall be so determined and regulated in accordance with a roster maintained for the purpose, which shall follow the following sequence, namely:—
 - (a) promotee;
 - (b) direct recruit;
 - (c) promotee;
 - (d) direct recruit; and so on.

4. **Interpretation.**—If any question arises as to the application of these rules or interpretation thereof, such question shall be referred to the Central Board of Direct Taxes, who shall give a decision thereon.

5. **Repeal.** Any rule relating to fixation of seniority and other conditions of service of Income-tax Officers Class I (whether they are direct recruits or promotees), shall, in so far as they relate to those officers who are governed by these rules, stand repealed to the extent they are inconsistent with any of the provisions contained in these rules.

[No. F.10/1/73-Ad.VI.]

M. M. SETHI, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

राजस्व और बीमा विभाग

आय-कर स्थापन

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1973

सं० का० वि० संख्या 54 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा पदम पंक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर अधिकारी (वर्ग 1) सेवा में सीधे भर्ती या प्रोन्नत

किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम आय-कर अधिकारी (वर्ग 1) सेवा (ज्येष्ठता का विनियमन) नियम, 1973 है।

(2) ये जनवरी, 1959 के 16वें दिन को प्रवृत्त हुए सम्झे जायेंगे।

2. **परिभाषा** :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख” से जनवरी, 1959 का 16वां दिन अभिप्रेत है,

(ख) “सीधी भरती” से आय-कर-अधिकारी (वर्ग 1) सेवा में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी किसी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरती किए गए कोई आय-कर अधिकारी अभिप्रेत है,

(ग) “प्रोन्नत” से चयन के आधार पर (वर्ग 1) सेवा में प्रोन्नत किए गए कोई आय-कर अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें,

(i) कोई आय-कर अधिकारी, श्रेणी III (वर्ग 2) सेवा, जो जुलाई, 1959 के प्रथम दिन से पूर्व आय-कर अधिकारी (वर्ग 1, श्रेणी 2) सेवा में प्रोन्नत किया गया है ;

(ii) वर्ग 2 सेवा का कोई आय-कर अधिकारी, जो जुलाई 1959 के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् आय-कर अधिकारी (वर्ग 1) सेवा में प्रोन्नत किया गया है; तथा

(iii) श्रेणी 3 (वर्ग 2 सेवा) का कोई आय-कर अधिकारी, जो जनवरी, 1959 से 16वें दिन से पूर्व आय-कर (वर्ग 1, श्रेणी 2) सेवा में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व प्रभाग) के पत्र संख्या 24 (2) प्र० आय-कर/51, तारीख 18 अक्टूबर, 1951 में अन्तर्विष्ट निर्देशों के अनुसार प्रोन्नति के लिये नियत कोटा से आधिक्य में प्रोन्नत किया गया है।

सम्मिलित है।

3. **अधिकारियों की ज्येष्ठता** :—वर्ग 1 सेवा के आय-कर अधिकारियों की ज्येष्ठता, इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार विनियमित की जायेगी, अर्थात् :—

(i) प्रोन्नतों की पारस्परिक ज्येष्ठता ऐसी प्रोन्नति के लिये चयन के क्रम में अवधारित की जाएगी और किसी पूर्वतर चयन के परिणामस्वरूप प्रोन्नत किए गए अधिकारी किसी पश्चात्पूर्वी चयन के परिणामस्वरूप चयनित अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे;

(ii) सीधे भरती किए गए व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता योग्यता के उस क्रम में अवधारित की जाएगी जिसमें ऐसी नियुक्ति के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनका चयन किया गया है और किसी पूर्वतर चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त कोई व्यक्ति किसी पश्चात्पूर्वी चयन के परिणाम स्वरूप नियुक्त अन्य सभी व्यक्तियों से ज्येष्ठ होगा; और

(iii) प्रोन्नत तथा सीधे भरती किये गये व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता 1 : 1 के अनुपात में होगी और वह इस प्रयोजन के लिये रखे गए ऐसे रीस्टर के अनुसार अवधारित और विनियमित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कम अपनाया जाएगा, अर्थात् :—

(क) प्रोन्नत,

(ख) सीधे भरती किया गया व्यक्ति,

(ग) प्रोन्नत,

(घ) सीधे भरती किया गया व्यक्ति, और इस प्रकार

4. निर्वचन :—इन नियमों के लागू होने या उनके निर्वचन के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद उठता है तो ऐसा विवाद केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो उसका विनिश्चय करेगा ।

5. निरसन :—प्राय-कर अधिकारी वर्ग 1 (भले ही वे सीधे भरती किए गए हों या प्रोन्नत हों) की ज्येष्ठता नियत करने और सेवा की अन्य शर्तों के सम्बन्ध में कोई भी नियम जहां तक उसका सम्बन्ध इन नियमों द्वारा शासित अधिकारियों से है इन नियमों में अन्तर्निष्ठ किन्हीं भी उपबन्धों से जहां तक वह उनसे असंगत है उस सीमा तक निरसित हो जाएगा ।

[फाइल संख्या 10/1/73—प्र० VI]

एम० एम० सेठी,

उप-सचिव, भारत सरकार ।